न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
7.4.25	मु0न0:–45/20 उनवानः– बुद्वा बनाम ज्ञानसिंह उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात ख0न0 430 रकवा 0.71 है0 सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जो जमाबन्दी सम्वत 2075–78 से साबित है। जिससे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार से नही है। ख0न0 430 साबिक ख0न0 305 रकवा 2 बीधा 16 बिस्वा से बने है। सायल ने यह आराजी पूर्व खातेदार भरोसी पुत्र मंगल गूर्जर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 29.06.1992 मे क्रय की है। गैरसायलान बदमाश किस्म के होने के कारण सायलान की आराजी को हडपना चाहते है। सायल का प्राईमाफेसी केस साबित है। अतः दिनांक 20.08.2020 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे। गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान का 2 बीधा पर कब्जा नही है बल्कि गैरसायलान का कब्जा काश्त है तथा कब्जे के अभाव मे दावा चलने योग्य नही है। सायलान के पिता बुद्वा द्वारा ख0न0 430 मे से 2 बीधा आराजी गैरसायलान न0 1 ज्ञानसिंह को सन 2008 को 1 लाख 5 हजार रूपये प्रति बीधा की दर से 2 लाख 10 हजार रूपये मे बेचान कर कब्जा गैरसायलान को संभला दिया, तभी से गैरसायलान काबिज है। गैरसायलान न0 1 द्वारा सायलान के विरूद्व एक मुकदमा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टोडाभीम मे स्पेशिफिक परफोरमेन्स एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी ज्ञानसिंह बनाम बुद्वा विचाराधीन है। इस बिना पर सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम ताजपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता न0 430 रकवा 0.71 है0 सायलान के पिता बुद्वा पुत्र श्रीफल के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.06.1992 मे वर्णित ख0न0 430 के साबिक ख0न0 305 रकवा 2 बीधा 16 बिस्वा को भरोसी पुत्र मंगल जाति गूर्जर से क्रय किया है। गैरसायलान ने अपने जबाब व बहस मे सायलान के पिता बुद्वा से सन 2008 को 2 बीधा आराजी 2 लाख 10 हजार मे क्रय किये जाने का कथन किया है लेकिन गैरसायलान ने पत्रावली मे क्रय किये जाने का कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया है। सायल द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। जिसमे उभयपक्षकारान का कब्जा तय किया किया जाना है। इसलिये सायल के पक्ष मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई, तो प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता को देखते हुए सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अर्थात न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.08.2020 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। आदेश अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेध[illegible]न्द किया जाता है कि ग्राम ताजपुर की आराजी ख[illegible] है[illegible]मे ता दावा फैसला सायलान की खातेदारी मे बाधा [illegible] निर्णय आज दिनांक [illegible] न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested